जावीद अहमद
आई०पी०एस०

डीजी–परिपत्र संख्या– 6 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक:लखनऊ: मार्च 26, 2017

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना नई सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। विगत समय में Social Networking Sites (Social media) के माध्यम से समाज विरोधी तत्वों/संगठनों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने, दूसरे धर्म के प्रति लोगों में द्वेष पैदा करने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने, अश्लील वीडियों Upload करने विशेषकर महिलाओं/युवतियों को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से तथा दुष्प्रचार आदि किए जाने की घटनायें प्रकाश में आयी है। ऐसे दृष्टान्त सामने आये है, जिनमें Social Networking Sites (Social media) के माध्यम से जनता की धार्मिक भावनायें भड़कायी गयी है, जिनकी परिणति कानून–व्यवस्था संबंधी गम्भीर समस्या उत्पन्न होने के रूप में हुई है। Social Networking Sites के रूप में Facebook,Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, Google+ इत्यादि Sites का प्रयोग इस दुष्प्रचार के लिये किया जाता है।

2. उक्त संबंध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–01/2016 दिनांक 8.1.2016 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किय जा चुके हैं, जिनका पुनः अवलोकन कर लिया जाय।

3. इन माध्यमों का दुरूपयोग रोकने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें:–

- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भड़काऊ पोस्ट की सोशल मीडिया सेन्टर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा Monitoring(निगरानी) की जाय।
- सभी प्रकार के आपत्तिजनक पेज/प्रोफाइल का तत्काल खण्डन Digital Volunteers एवं अन्य माध्यमों से किया जाय।
- सभी प्रकार के आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पेज/प्रोफाइल/मैसेज पाये जाने पर इन्हें ब्लाक करने के लिये धारा 91 Cr.P.C के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जाय।
- प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर IT Act एवं IPC की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही करायी जाय।

4. मुझे विश्वास है कि आप सभी उपरोक्तानुसार सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए अपेक्षित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के अपने दायित्व का गम्भीरतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

भवदीय,

26-3-

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0